

12/3/26

वकील श्री राजेन्द्र लसाड पीएम के उपा

जिन्होंने एक प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया  
कि डिप्टी के पद उन्होंने आज सम्पूर्ण राज्य प्राप्त  
कर ली है प्रकरण में उन्हें कोई वसूली योग्य  
रकम नहीं रही। प्रकरण में अब आगे के कोई कार्य नहीं  
शेष नहीं रही।

पत्रावली करते तकमीली आदेश में  
दिनांक 14/3/26 को पेश है।

न्यायिक मजिस्ट्रेट  
सुबान जिना-अजमेर (राज)

14/3/26